जनपद न्यायालय, मऊ

नीलामी के नियम व शर्ते

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, मऊ के कम्प्यूटर अनुभाग के निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी दिनांक : 29.08.2023 दिन मगंलवार को नियत की गयी है, जोकि उक्त दिवस को जनपद न्यायालय मऊ के सभागार कक्ष में सायं 4.30 बजे से सम्पन्न की जायेगी।

जनपद न्यायालय, मऊ के कम्प्यूटर अनुभाग के निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर हार्डवेयर्स एवं उनके सहवर्ती उपकरणों का विवरण:–

Sr. No.	Computer Hardware Detaila	Quantity
1.	TVS MSP 4SS DMP Printer	13
2.	HCL Winbee Thin Client with Monitor, Keyboard and Mouse	39
3.	HCL–TFT Desktop With Keyboard & Mouse	15
4.	HP Lasejet Printer P1008	15
5.	HP Scanjet 8270 Flatbed	01
6.	Uniline UPS 500 VA	06
7.	Uniline UPS 2 KVA	01
8.	Miscellaneous Old Computer Hardwares	24

इस निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर हार्डवेयर्स एवं उनके सहवर्ती उपकरणों के नीलामी की प्रमुख शर्ते निम्नलिखित है:–

1– उक्त कम्प्यूटर अनुभाग के निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर उपकरणों की नीलामी हेतु न्यूनतम धनराशि मु० 17000/– निर्धारित की गयी है।

2– नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक आवेदनकर्ता के लिये आवेदन फ़ार्म मु० 200/– रुपये का भुगतान कर नजारत कार्यालय से दिनांक: 28.08.2023 तक प्राप्त कर सकते है।

3– नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक आवेदन कर्ता को मु० 5000/– रुपये का बैंक ड्राफ़्ट जिला जज, मऊ के नाम से बनवाकर या नकद प्रतिभूति के रुप में आवेदन फ़ार्म के साथ नजारत कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन फ़ार्म जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 28.08.2023 सायं 05.00 बजे तक होगी।

4– सभी प्रकार से भरे हुए आवेदन पत्र मय प्रतिभूति धनराशि नजारत कार्यालय में दिनांक 28.08.203 को सांय 5.00 बजे तक अनिवार्य रुप से जमा करा दिये जाये। इस तिथि के पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5– जिस प्रतिभागी द्वारा उच्चतम बोली लगायी जायेगी उस प्रतिभागी का जमा जमानत धनराशि को उक्त धनराशि में समायोजित कर लिया जायेगा शेष प्रतिभागी की जमानत धनराशि उन्हें वापस कर दी जायेगी।

6– नीलामी की अंतिम बोली को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकारी अंतिम रुप से सक्षम अधिकारी/माननीय जनपद न्यायाधीश, मऊ को होगा।

7- नीलामी स्वीकृत होने पर नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा जमानत धनराशि के अतिरिक्त अंतिम बोली की शेष धनराशि को उसी तिथि या अगले कार्य दिवस में नजारत कार्यालय में जमा करना होगा।

8- नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृत धनराशि को न जमा करने पर नीलामी अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रतिभागी की जमा जमानत राशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

9- नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा नीलामी तिथि के पश्चात सम्पूर्ण धनराशि अदा करने के उपरान्त एक सप्ताह के अंदर उक्त कम्प्यूटर उपरकणों को अपने स्वयं के खर्च पर निर्धारित स्थान से ले जाना होगा।

Shailesh Singh 14/08/2023
(शैलेश कुमार सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सदस्य, नीलामी समिति
जनपद न्यायालय, मऊ।

14/8/23
(दिनेश कुमार चौरसिया)
अपर जिला जज कोर्ट नं०-4
सदस्य, नीलामी समिति
जनपद न्यायालय, मऊ।

14.08.23.
(अशोक कुमार-X)
अपर जिला जज कोर्ट नं०-1
सदस्य, नीलामी समिति
जनपद न्यायालय, मऊ।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित:-</u>

1- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2- कार्यालय जिलाधिकारी, मऊ।
3- जिला सूचना अधिकारी मऊ को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
4- जनपद न्यायालय मऊ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफ़िसर को प्रेषित।
5- जनपद न्यायालय मऊ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।
6- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस को जनपद मऊ की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
7. कार्यालय अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मऊनाथ भंजन मऊ को प्रेषित ।

Seen
Approved.
14/8/2023.
DISTRICT JUDGE
MAU